

मूल वाद में शिर्षी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

बनाम

कृष्ण कुमार पुत्र मुखाराम ..... मुत्तराम पुत्र रामलाल जाति जाट  
जाति जाट निवासी नेराना ..... निवासी नेराना आदि

दावा बाबत :- 88 R.A.S.

मुकदमा नम्बर :- 168/20

निर्णय दिनांक :- 16-12-21

वादी की ओर से वकील मुन्शीराम गोस्वामी की व प्रतिवादी सं० ..... की ओर से वकील कृष्ण स्वामी की उपस्थिति में इरुं वाद में आज तारीख 16-12-21 को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

मुत्तराम राजीनामा चउ उ B.R.W के खारा सं० 5 प/59 के मुं० न० 21, 22, 23, 30, 31 की कुल 9.462 हे० वृषि भूमि में प्रति० सं० 1 मुत्तराम के नाम 3/30 दिसा व एही पूछार चउ उ B.R.W के खारा सं० 60/76 के मुं० न० 36 की कुल 1.012 हे० में प्रतिपारी सं० 1 के नाम 0.148 हे० राजस्व रिजॉर्ड में दर्ज है, में प्रतिपारी सं० 1 का नाम उलमजुन जिम जाग वारी कृष्ण कुमार के खारादार कररदार घोषि जिम जाग ही इंडि प्रति० सं० 1 मप ने अपना छे दिसा वारी के पत्र में लपण डर इरुं डर सिप है इसलिए लपण जिम दिसा व निपमानुसार पंजीपन शुरू अवा डर व वृषि भूमि वैड रख है ही रख मुक होने व उपरो मधु मए राजस्व रिजॉर्ड में अंग डर रिजॉर्ड डर डर

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/12/21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की

गई।

(शकुंतला चौधरी)

R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भादरा जिला हनुमानगढ़